DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- the pioneer
NEW DELHI | TUESDAY | DECEMBER 10, 2024

LG reviews progress of PM-UDAY scheme in Delhi

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena reviewed the progress of single-window camps under PM-UDAY, under which 13,300 applicants from unauthorised colonies visited and availed of the facility. The Prime Minister-Unauthorised Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojana (PM-UDAY) scheme aims to grant ownership rights to residents of 1,731 unauthorised colonies in the national capital. The scheme's primary objective is to provide legal recognition to residents' properties by conferring ownership rights. On Saxena's instructions, the Delhi Development Authority (DDA) is holding these camps every weekend from November 30 to December 29 at 10 centres.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली। मंगलवार • 10 दिसम्बर • 2024 | राष्ट्रीय सहारा

NAME OF NEWSPAPERS----

amarujala.com
नई दिल्ली | मंगलवार, 10 दिसंबर 2024

एमसीडी व डीडीए पर लगाया एक-एक लाख का जुर्माना

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीसीसी) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को बताया कि पर्यावरणीय नुकसान को रोकने में कथित तौर पर नाकाम रहने को लेकर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) व दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

डीपीसीसी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को बताया कि जुर्माना पर्यावरणीय नुकसान को रोकने में नाकाम रहने की वजह से लगाया

एनजीटी ने पहले डीपीसीसी को पर्यावरणीय नुकसान के लिए दोनों प्राधिकारों से क्षतिपूर्ति लेने का निर्देश दिया था। उसने यह बात हरित नियमों के उल्लंघन को लेकर उनके दायित्व का उल्लेख करने के बाद कहा था। एनजीटी ने यह निर्देश दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज में एक आवासीय कॉलोनी की संपर्क सड़क पर भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए दिया था।

याचिका में कहा गया था कि डंपर-ट्रक जैसे वाहन पास के रंगपुरी गांव इलाके में स्थित माल गोदाम तक जाते हैं। वहां निर्माण कार्य एवं ध्वस्तीकरण का मलबा अवैध रूप से गिराते हैं। बोर्ड ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि उसने 28 अक्टूबर को एमसीडी (नजफगढ क्षेत्र) के उपायुक्त से एक लाख रुपए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में लेने का आदेश जारी किया था। उसी तरह डीडीए के अधीक्षण अभियंता पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

डीपीसीसी ने एमसीडी डीडीए पर लगाया जुर्माना

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने पर्यावरणीय नुकसान को रोकने में विफल रहने पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जानकारी सोमवार को डीपीसीसी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को सौंपी अपनी एक रिपोर्ट में दी।

रिपोर्ट के अनुसार, डीपीसीसी ने 28 अक्तूबर को एमसीडी (नजफगढ़ जोन) के डिप्टी कमिश्नर पर एक लाख रुपये का पर्यावरण क्षति मुआवजा लगाने का आदेश जारी किया था। रिपोर्ट में डीडीए के संबंधित अधीक्षण अभियंता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जुर्माना जमा करने के लिए दोनों अधिकारियों को रिमाइंडर जारी किया गया था। एनजीटी ने इससे पहले डीपीसीसी को निर्देश दिया था कि वह दोनों प्राधिकरणों पर पर्यावरणीय क्षति के लिए जुर्माना लगाए। वसंत कुंज में एक आवासीय कॉलोनी के संपर्क मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई पर अदालत ने यह निर्देश दिए थे। संवाद

पीएम-उदय के कैंप में 13 हजार आवेदन

नई दिल्ली। पीएम-उदय योजना के तहत अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले निवासी मालिकाना हक के लिए पंजीकरण करवा रहे हैं। इनमें 13 हजार से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। सोमवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पीएम-उदय के लिए सिंगल विंडो कैंप की प्रगति की समीक्षा की। कैंप को डीडीए आयोजित कर रहा है। 30 नवंबर से आठ दिसंबर तक 10 से अधिक स्थानों पर आयोजित शिविरों में 13,353 आवेदक अपनी संपत्तियों को नियमित कराने के लिए आए। अधिकांश आवेदकों के आवेदनों में कमियों को दूर कर उन्हें मौके पर ही मंजूरी दे दी गई। पीएम-उदय योजना का उद्देश्य दिल्ली में 1731 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक प्रदान करना है। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI TUESDAY, DECEMBER 10, 2024 ----DATED---------------------

Two trunk drains undergo major overhaul in Dwarka

Vibha.Sharma@timesofindia.com

New Delhi: Delhi Development Authority's (DDA) has completed all pending work on rejuvenating two major trunk drains in Dwarka. The project aims to address the issue of waterlogging, provide a better drainage system and boost green cover in the area.

The project included tapping about 15 drain outlets and treating wastewater through three mega sewer treatment plants (STPs) before dumping sewage or untreated waste into the trunk drains.

The trunk drains — no. 2 and 5 — pass through several sectors like 3, 8, 9, 13, 20 and 23 before merging with Najafgarh drain. While trunk drain 2 has a length of 5.2km, trunk drain 2 is 3.8km long. "Over the past few years, these drains became open sewers due to discharge of wastewater from adjoining colonies. This resulted in inhospitable situations in nearby areas. To address these issues, DDA executed the project to rejuvenate these channels by sewerage interception and treatment," said an official.

Three STPs were constructed along the trunk drains to treat wastewater. "They are effectively processing sewage and treating it before discharging it into the drain. An STP of 9.5 MLD capacity was installed at Sector 3 on trunk drain 5, another of 5 MLD at Sector 8 on trunk drain 2, and a third of 7 MLD at Sector 19 along trunk drain 2," said the official. In addition to the STPs, a polishing pond was developed at the Sector 3 STP, at the beginning of the drain, to improve the quality of water. It provided sufficient retention time for the treated water to settle before being discharged into the drain," said the official.

DDA has also wrapped up work on a 9km cycle track, 12km walkway, a park along the drain, a nature trail, and an open food court that consists of 74 shops. "The idea was to give enough recreational space to residents," said the official. The estimated project cost, which was inaugurated in Feb, was Rs 300 crore. Meanwhile, DDA said it has completed 80% of work on the 2.4km airport drainage project, which aims to connect IGI Airport (Terminal 1), Sector 8 Dwarka and adjacent regions. The initiative to revitalise the airport drain was conceptualised in 2019 following severe flooding at the airport.

"The project was stuck due to various reasons, including pending permissions from different agencies. LG V K Saxena, who is also the DDA chairman, intervened in June 2022 and held several rounds of meetings. Saxena directed officials to enhance manpower and other resources to complete the drainage project at the earliest. Work on the airport drain then commenced in Nov that year," said the official. No waterlogging was reported this monsoon at the airport, he added, as the section connected to the airport and discharging water into trunk drain 2 was completed.

File photo

NEW LOOK

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times NEW DELHI TUESDAY DECEMBER 10, 2024

NAME OF NEWSPAPERS--

THE INDIAN EXPRESS, TUESDAY, DECEMBER 10, 2024

13,300 people visit camps under PM-UDAY in Delhi

NEW DELHI: Lieutenant governor VK Saxena on Monday reviewed the progress of single-window camps under Prime Minister-Unauthorised Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojana (PM-UDAY), which have been visited by 13,300 applicants from unauthorised colonies, expressing satisfaction at the progress made so far, the LG secretariat said on Monday. On Saxena's instructions, DDA is holding these camps every weekend till December 29.

13,353 applicants benefitted from camps to simplify PM-UDAY registration: L-G

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, DECEMBER 9

MORE THAN 13,000 applicants have visited camps set up to simplify the process of registering houses in unauthorised colonies in the city under the Centre's Prime Minister-Unauthorised Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojana (PM-UDAY) scheme.

The scheme, which was launched ahead of the 2020 Delhi Assembly polls, was off to a slow start. Lt Governor VK Saxena announced last month that special camps will be set up on weekends to expedite the process. The PM-UDAY scheme aims to grant ownership rights to residents of 1,731 unauthorised colonies.

The Delhi Development Authority (DDA) holds these camps every weekend and will continue until December 29 at 10 processing centres in unauthorised colonies.

A statement from the office of the L-G said 13,353 applicants have already visited the camps and most had their applications cleared and approved on the spot.

During the Lieutenant Governor's visit to a camp in Najafgarh last week, a number of people, while appreciating the initiative, had requested him to facilitate on-the-spot registrations for properties.

Following this, Saxena directed to ensure the presence of sub-registrars in the camps.

More than 2,000 new applications were filed in these camps. During the last two weeks, conveyance deeds/authorisation slips were issued for 506 applications and 21 deeds registered. Thousands of pending applications for regularisation were cleared of deficiencies and hundreds of them approved, the statement said.

Similar special camps were organised for clearing mutation of properties on grounds of inheritance and providing electricity connections to 14,000 applicants who faced long delays due to a land-pooling policy, it stated.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 10 दिसंबर 2024

NAME OF NEWSPAPERS

कैंप्स में 13,353 से अधिक आवेदक पहुंचे

■ विस, नई दिल्ली : पीएम-उदय योजना के सिंगल विंडो कैंप्स के तहत दो वीकेंड पर लगे चार कैंप्स में अब तक 13,353 से अधिक आवेदक आए। यह आवेदक विभिन्न अनधिकृत कॉलोनियों के थे। इनमें से ज्यादातर आवेदकों की कमियों को मौके पर दूर कर उनकी एप्लिकेशन को अप्रूव कर दिया गया है।

एलजी वी के सक्सेना ने पीएम-उदय योजना के तहत लग रहे इन कैंप्स का सोमवार को रिव्यू किया। उन्होंने पब्लिक से मिले रिस्पॉन्स को सराहा। उन्होंने डीडीए से कहा कि इन कैंप्स के तहत अनधिकृत कॉलोनियों मे रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जाए। यह कैंप्स 30 नवंबर, एक दिसंबर के अलावा सात व आठ दिसंबर को लगाए गए थे। ज्यादातर आवेदकों के आवेदन की कमियों को मौके पर दूर कर उनके आवेदन को अप्रूव कर दिया गया। इन कैंप्स मे दो हजार से अधिक नए आवेदन भी आए। बीते दो हफ्तों के दौरान 21 का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। इन कैंप्स में लोगों को डीड, ऑथराइजेशन स्लिप के मुद्दे से जुड़ी समस्याओं, जीआईएस सर्वे, नए रजिस्ट्रेशन आदि मे हर तरह की सहायता की जा रही है। यह कैंप्स बुराड़ी, राज नगर, राजपुर खुर्द, मैदानगढ़ी के शाहदतपुर एक्सटेंशन, रोहिणी के विजय नगर, मोहन गार्डन, विजय नगर एक्सटेंशन, जल विहार बापरोला और संगम विहार में लगाए गए। एलजी के निर्देश पर लैंड पूलिंग पॉलिसी की वजह से बीते काफी समय से पेंडिंग बिजली के कनेक्शन को लेकर भी इसी तरह के स्पेशल कैंप आयोजित करने की तैयारी की जा रही है।

NBT Lens
समझिए खबरों के अंदर की बात

क्यों स्लो है यह योजना?

दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियो के लोगों को मालिकाना हक देने के लिए शुरू की गई योजना बेहद धीमी रफ्तार से चल रही है। योजना से यहा के निवासियो को बड़ा फायदा होगा और आगे चलकर इसी आधार पर कॉलोनिया नियमित भी हो सकेंगी। धीमी रफ्तार की सबसे बड़ी वजह दस्तावेजों की कमी है। अधिकतर कॉलोनिया खेतों को काटकर बनाई गई है। ऐसे मे कई जगह उनके दस्तावेज नही मिल पाते। दिक्कत ये आती है कि जितनी बार भी खरीद-फरोख्त हुई, उस चेन में से कोई एक खरीददार के दस्तावेज नही होते।

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 10 दिसंबर, 2024

नगर निगम और डीडीए पर लगाया एक-एक लाख रुपये का जुर्माना

जासं, नई दिल्ली: पर्यावरणीय क्षति को रोकने में नाकाम रहने पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने दिल्ली नगर निगम और डीडीए पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया। डीपीसीसी ने यह जानकारी एनजीटी के समक्ष दाखिल रिपोर्ट में दी।

डीपीसीसी ने रिपोर्ट में कहा कि 28 अक्टूबर को एमसीडी उपायुक्त (नजफगढ़ जोन) पर एक लाख रुपये का पर्यावरणीय क्षति मुआवजा लगाने का आदेश जारी किया है। डीडीए के संबंधित अधीक्षण अभियंता पर भी एक लाख रुपये मुआवजा लगाया। रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों अधिकारियों को जुर्माना राशि जमा करने का आदेश दिया गया था, लेकिन वह अभी तक नहीं किया गया है। दोनों अधिकारियों पर पर्यावरणीय क्षति के लिए मुआवजा लगाने का निर्देश दिया था।

दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 10 दिसंबर, 2024

लोगों ने मालिकाना हक के लिए किया आवेदन, एलजी ने की सराहना

राब्यू, जागरण • नई दिल्ली: एलजी वीके सक्सेना ने पीएम-उदय योजना के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा आयोजित सिंगल विंडो कैंपों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस योजना के तहत आयोजित शिविरों में जनता के उत्साह की भी सराहना की।

बैठक में सामने आया कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में स्थित अनधिकृत कालोनियों में 10 से अधिक स्थानों पर आयोजित विशेष शिविरों में आवेदकों ने अपनी संपत्तियों को नियमित कराने के लिए हिस्सा लिया। इन आवेदकों में से अधिकांश ने अपने आवेदन में कमियों को हल किया और मौके पर ही अनुमोदन कराया। सप्ताहांत में हुए इन शिविरों में अंतिम व्यक्ति के समाधान होने तक ओवर टाइम काम हुआ। कुछ शिविरों में डीडीए के अधिकारियों ने रविवार रात वर्षा के बावजूद काम किया, क्योंकि वहां आवेदकों की कतारें लगी थीं। एलजी के निर्देश पर शनिवार और रविवार को आयोजित किए गए दूसरे शिविर में संपत्ति के पंजीकरण के माध्यम से मालिकाना हक की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए उप-रजिस्ट्रार भी उपस्थित थे।

शिविरों में लोगों ने 2,000 से अधिक नए आवेदन किए, जो इन कालोनियों में रह रहे लोगों की इसके प्रति जागरूकता को दर्शाता है। पिछले दो हफ्तों में 506 आवेदनों में से कन्वेंस डीड जारी की गईं और राजस्व विभाग के उप रजिस्ट्रार द्वारा 21 डीड पंजीकृत भी किए गए, जिससे प्रक्रिया को अंतिम रूप मिला। हजारों लंबित आवेदन जो नियमितीकरण के लिए थे, उनकी कमियां दूर की गईं और सैकड़ों को मंजूरी मिल गई।

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली, मंगलवार, 10 दिसंबर 2024

पीएम-उदय योजना के शिविरों में पहुंचे 13 हजार से ज्यादा लोग : राजनिवास

नई दिल्ली। दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 13 हजार से ज्यादा लोगों ने डीडीए द्वारा लगाए जाने वाले पीएम-उदय एकल खिड़की शिविर का लाभ उठाया है। सोमवार को एलजी वीके सक्सेना ने योजना पर अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने लोगों की ओर से मिल रही उत्साह जनक प्रतिक्रिया पर संतोष जताया है। राजनिवास के मुताबिक, अलग-अलग अनधिकृत कॉलोनियों के 13,353 आवेदक अब तक इन शिविरों में शामिल हुए हैं। शिविरों में केवल कंवेयंस डीड और अथाराइजेशन स्लिप ही जारी नहीं की जा रही है, बल्कि राजस्व विभाग के उप-पंजीयक की उपस्थिति में संपत्तियों की रजिस्ट्री भी की जा रही है।